रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003-05 REGD. NO. D. L.-(N)04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 31] नई दिल्ली, जुलाई 25—जुलाई 31, 2010, शनिवार/श्रावण 3—श्रावण 9, 1932
No. 31] NEW DELHI, JULY 25—JULY 31, 2010, SATURDAY/SHRAVANA 3—SHRAVANA 9, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 119.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद, 299 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि भारत सरकार के तत्कालीन विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा. का. नि. 585 तारीख 1 फरवरी, 1966 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के भाग 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"30 इसमें पूर्व में विनिर्दिष्ट नहीं की गई संविदाओं के विषय में अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल या प्रशासक के प्रशासन के अधीन राज्यक्षेत्र :—

1. पंद्रह करोड़ रुपये से अधिक के सभी विलेख, संविदाएं और अन्य लिखत, उप राज्यपाल या प्रशासक के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, संबंधित विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, आयुक्त-सह-सचिव या सचिव द्वारा निष्पादित किए जाएंगे ।

Attested

(12)

Desirable:

(i) Doctorate Degree in Economics from a recognised University;

(ii) Published Research work in Referred International/National Journals of repute in the area of economics.

Note 1: Deputationists will be only from Central/State/UTs Governments. Contractual appointees will be from Private Institutions of repute/Financial Institutions. The rest will be short-term contractual appointees.

Note 2: The contractual appointees will have to possess only the educational and other qualifications and experience listed at (b) above and the requirement at (a) above will not be relevant in their case.

(Period of deputation (ISTC) including the period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Period of Contract shall also not exceed Five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC), Contract shall not be exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[No. A-12011/4/2004-Admn. IA-Vol.-I]
V. K. SHARMA, Dy. Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 123.—संविधान के अनुच्छेद, 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग (लेखा लिपिक) भर्ती नियम, 1999 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा न किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में लेखा लिपिक के पद पर भर्ती के तरीके को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ.—(1) ये नियम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखा लिपिक) भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और संबद्ध वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता.—ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है जिसका पति/पत्नी जीवित है, अथवा

(ख) जो अपने पति/पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह करता/करती है Attested

2733 GI/10—11

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते यदि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति अथवा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के तहत अनुमत्य है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो किसी व्यक्ति पर इस नियम को लागू करने से छूट दे सकती है ।

5. छूट देने की शक्ति.—यदि केन्द्र सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के सभी अथवा किसी प्रावधान से आदेश द्वारा छूट प्रदान कर सकती है, जिसके लिए कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

6. बचत.—ये नियम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, पूर्व सैनिकों कर्मचारी और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे ।

अनुसूची

पद नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन-सह-वरीयता अथवा मैरिट द्वारा चयन अथवा गैर-चयन	क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ देय है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखा लिपिक	1* (2010) *कार्यभार के अध्यधीन।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, मंत्रालयिक	वेतन बैंड-1: रु. 5200-20200 और ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट) । नोट : आयु सीमा के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण तारीख भारतीय अभ्यर्थियों (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों को छोड़कर) से आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी ।

सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति के मामलों में लागू होंगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (1) मैट्रिक अथवा समकक्ष ; (2) सरकारी लेखाओं और भुगतान का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (1) लेखांकन अथवा वाणिज्य में डिप्लोमा (2) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के कम से कम एक भाग में उत्तीर्ण । (3) अंग्रेजी अथवा हिंदी में टंकण का ज्ञान ।	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रकाशन)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली

भर्ती का तरीका सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन के मामले में ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(11)	(12)
प्रतिनियुक्ति द्वारा और असफल रहने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्र सरकार के तहत वे अधिकारी जिन्होंने : (क)(i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किए हों; अथवा (ii) 2000 रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-1 अथवा समकक्ष पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो अथवा 1900 रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-1 अथवा समकक्ष पदों पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) कालम 8 के तहत विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हों । (केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अथवा इसी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित अन्य संवर्ग इतर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) नोट : पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारियों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान किए जाने की तारीख) से पहले की गई नियमित सेवा को अयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदत्त संबंधित ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए, एक से अधिक संशोधन पूर्व के वेतनमानों को एक समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में आमेलित पदों को छोड़कर किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 (छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन संरचना प्रदान किए जाने की तारीख) से पहले की गई नियमित सेवा को अयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदत्त संबंधित ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए दिया जाएगा जिनके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना स्तरोन्नयन के सामान्य स्थानन ग्रेड मात्र है ।

यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किये जाने की परिस्थितियां
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (कंफर्मेशन के लिए) जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं :- (i) उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) —अध्यक्ष (ii) अवर सचिव (स्थापना-I) —सदस्य (iii) अवर सचिव (स्थापना-II) —सदस्य (iv) किसी अन्य विभाग से अवर सचिव —सदस्य	लागू नहीं ।

[सं. ए-12018/04/2009-स्था. II]

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

Attested

सहायक नियंत्रक (प्रशा...)
भारत सरकार, प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स, दिल्ली-...

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 27th July, 2010

G.S.R. 123.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education (Accounts Clerk) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accounts Clerk in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education [Accounts Clerk] Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax all or any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** —Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether Selection-cum-seniority or Selection by merit or Non-selection	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Accounts Clerk	1*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group-C Non-Gazetted Ministerial	PB-1: Rs. 5200-20200 & Grade Pay Rs. 2400	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Attested

		(7)
		Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential: (1) Matriculation or equivalent; (2) Experience of not less than three years in Government accounts and payment work. **Desirable:** (1) Diploma in Acountancy or Commerce (2) Pass in at least one part of Subordinate Accounts Services examination of the Indian Audit & Accounts Department. (3) Knowledge of Typewriting in English or in Hindi.	Not applicable	Two years for direct recruit

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(11)	(12)
By deputation failing which by direct recruitment	**By Deputation:** Officers under the Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the Pay Band 1 with Grade Pay of Rs. 2000 or equivalent or with eight years regular service in posts in the Pay band 1 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent; and (b) possessing the qualifications specified under column 8. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.)

Attested
23/9/11

	(12)
	Note : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January 2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of the following officers : (i) Deputy Secretary/Director (Administration) —Chairperson (ii) Under Secretary (Estt. I) —Member (iii) Under Secretary (Estt. II) —Member (iv) Under Secretary from any other Department —Member	Not applicable.

[No. A. 12018/4/2009-E. II]

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 124.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय (अभिरक्षक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम पंचायती राज मंत्रालय (अभिरक्षक) समूह 'ग' पद (संशोधन) भर्ती नियम, 2010 है।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. पंचायती राज मंत्रालय (अभिरक्षक) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची में,—

(i) स्तंभ (4) में,

(क) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"वेतन बैंड और ग्रेड वेतन";

(ख) प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. ।";

(ii) स्तंभ (12) में,—

Attested

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 24 मई, 2011

सा.का.नि. 161.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) में रीडर-सह-सहायक के पद के भर्ती नियम, 1999 का अधिक्रमण करते हुए केवल ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में रीडर-सह-सहायक के पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अवरलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. लघु शीर्षक और आरंभ.—(1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (रीडर-सह-सहायक) भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतनमान इन नियमों में संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—इन पदों के लिए भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा इनसे संबद्ध अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होंगे ।

4. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो अथवा विवाह के संबंध में अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित है;

(ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या विवाह के संबंध में अनुबंध किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार का विवाह, ऐसे व्यक्ति के संबंध में और विवाह के दूसरे पक्ष के संबंध में लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं जो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट प्रदान करते हैं ।

5. छूट का अधिकार.—जहां पर केन्द्र सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक है अथवा समीचीन है, तो वह आदेश के द्वारा, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकती है ।

6. प्रतिबंध.—इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण, आयु-सीमा में छूट तथा उपलब्ध करायी जाने वाली अन्य रियायतों पर इन नियमों में उल्लिखित किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीडर-सह-सहायक	1* (2011) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, लिपिकवर्गीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रुपए एवं ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	यदि भर्ती पदोन्नति द्वारा/प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन के द्वारा की जानी है तो वे ग्रेड जिनमें से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्र सरकार के अधीन अधिकारीगण : (क) (i) मूल संवर्ग (काडर) विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारक अथवा (ii) वेतन बैंड-1 में 5200–20,200 रु. 2800 रु. के ग्रेड वेतन के साथ पदों में एक नियमित आधार पर उन पर नियुक्ति के बाद की गई 6 वर्षों की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य पद; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कानून में डिग्री, (ii) किसी सरकारी विभाग अथवा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/उद्यम में विधिक मामलों के संबंध में कार्रवाई करने का दो वर्ष का अनुभव । (केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में अथवा उसी में इस नियुक्ति से पूर्वगत तत्काल धारित किसी अन्य पूर्व संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी) । **टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से किसी अधिकारी द्वारा जनवरी, 2006 के प्रथम दिन से पूर्व/छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतनमान लागू होने की तारीख से नियमित आधार पर की गई सेवा को केवल उस स्थिति को छोड़कर जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ एक ग्रेड में पूर्व संशोधित वेतनमान से अधिक का विलय हुआ हो और जहां यह सुविधा केवल उन पद/पदों के लिए प्रदान की जा रही हो जिनके लिए ऐसा ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो, वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदत्त संगत ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-12018/1/2009-ई—II]

संजय गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 24th May, 2011

G.S.R. 161.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) Reader-cum-Assistant Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating and the method of recruitment to the post of Reader-cum-Assistant in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, (Reader-cum-Assistant) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.**—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed thereto.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Reader-cum-Assistant	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	PB-2 : Rs. 9300—34800 and Grade Pay : Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

1729 GI/11—2

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/Deputation/Absorption, grade from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
(10)	(11)
By deputation.	**Deputation :** Officers under the Central Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/Department, or (ii) with six years' service rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-1, Rs. 5200—20,200 with Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre/ Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Degree in Law from a recognized University/Institute, (ii) Two years' experience of handling legal maters in a Government Department or in a Public Sector Undertaking/Public Sector Enterprise. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.) **Note :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been meger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. A-12018/1/2009-E-II]

SANJAY GUPTA, Under Secy.

9. Notification No. E(D&A)69 RG 6-9 dated the 5th February, 1973
10. S.O. No. 2897, dated the 6th October, 1973
11. S.O. No. 1413, dated the 14th May, 1977
12. S.O. No. 2193, dated the 29th July, 1978
13. S.O. No. 364, dated the 23rd December, 1978
14. Notification No. E(D&A)77 RG 6-30 dated the 7th April, 1973
15. S.O. No. 3057, dated the 8th September, 1979
16. S.O. No. 3777, dated the 17th November, 1979
17. S.O. No. 3990, dated the 8th December, 1979
18. S.O. No. 143, dated the 19th January, 1980
19. S.O. No. 441, dated the 23rd February, 1980
20. Notification No. E(D&A)81 RG 6-72 dated the 31st August, 1982
21. GSR No. 982, dated the 17th December, 1983
22. GSR No. 632, dated the 23rd June, 1984
23. S.O. No. 1822, dated the 27th April, 1985
24. S.O. No. 5667, dated the 6th July, 1985
25. GSR No. 667, dated the 22nd February, 1986
26. GSR No. 241, dated the 4th April, 1987
27. GSR No. 708, dated the 19th September, 1987
28. GSR No. 869, dated the 21st November, 1987
29. GSR No. 420, dated the 21st May, 1988
30. GSR No. 739, dated the 17th September, 1988
31. GSR No. 850, dated the 11th November, 1989
32. GSR No. 900, dated the 2nd December, 1989
33. GSR No. 734, dated the 8th December, 1990
34. GSR No. 723, dated the 1st December, 1990
35. Notification No. E(D&A) 91 RG 6-42 dated the 8th June, 1991
36. GSR No. 568, dated the 5th October, 1991
37. GSR No. 86, dated the 22nd February, 1992
38. GSR No. 504, dated the 14th November, 1989
39. Notification No. E(D&A) 92 RG 6148 dated the 9th November, 1992
40. GSR No. 63, dated the 30th January, 1993
41. GSR No. 327, dated the 16th July, 1994
42. GSR No. 106, dated the 6th June, 1998
43. GSR No. 422, dated the 27th December, 1997
44. GSR No. 87, dated the 20th March, 1999
45. GSR No. 385, dated the 20th November, 1999
46. GSR No. 617, dated the 24th November, 2001
47. GSR No. 342, dated the 24th August, 2002
48. GSR No. 50, dated the 1st February, 2003
49. GSR No. 134, dated the 29th March, 2003
50. GSR No. 376, dated the 30th October, 2004
51. GSR No. 62, dated the 19th February, 2005
52. GSR No. 195, dated the 11th June, 2005
53. GSR No. 226, dated the 9th July, 2005
54. GSR No. 190, dated the 29th July, 2006

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 20 मई, 2011

सा.का.नि. 155.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के भर्ती नियम, 2000 का अधिक्रमण करते हुए केवल ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए अथवा छोड़े गए कार्यों को छोड़कर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में कलाकार के पद की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए अवरलिखित नियम बनाती हैं :—

1. **लघु शीर्षक और आरंभ.**—(1) इन नियमों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (कलाकार) भर्ती नियम, 2011 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **लागू होना** :— ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पद के लिए लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे जुड़ा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान इन नियमों में संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाउल्लेखानुसार होगा।

4. भर्ती प्रक्रिया आयु-सीमा और अर्हता इत्यादि.—उक्त पद से संबंधित भर्ती प्रक्रिया, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में उल्लेखानुसार होगा।

5. अयोग्यता.—कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसा व्यक्ति के साथ विवाह किया है जिसका पति/पत्नी जीवित है; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसका पति/पत्नी जीवित है, वह किसी व्यक्ति से विवाह करता है अथवा विवाह के लिए संविदा करता है तो उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि इस प्रकार का विवाह, ऐसे व्यक्ति अथवा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अनुमत्य है एवं इस प्रकार का कार्य करने के लिए अन्य आधार हैं तो किसी भी व्यक्ति को इस नियम के परिचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

6. छूट का अधिकार.—जहां भी केन्द्र सरकार का विचार है कि ऐसा करना आवश्यक या समयोचित है, तो वह कारणों को लिखित रूप से रिकार्ड करके आदेश द्वारा, लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों सहित, किसी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति के लिए इन नियमों के किन्हीं भी प्रावधानों में छूट दे सकती है।

7. प्रतिबंध.—इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और प्रदान की जाने वाली अन्य रियायतों पर इन नियमों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कलाकार	1* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. (ग्रेड वेतन 4200 रु.)	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसरण में पांच वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु-सीमा तय करने की तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी (और न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के लाहौल और स्पीति जिला और पांगी उपडिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित अंतिम तिथि)।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षाधीन अवधि, यदि कोई है
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से वाणिज्यिक कला या ललित कला या एप्लाइड आर्ट में स्नातक की डिग्री । (ii) विज्ञापन/कारपोरेट कंपनी में कलाकार के रूप में काम करने अथवा स्वतंत्र कलाकार के रूप में अंग्रेजी और हिन्दी में पंफलेट, पोस्टर, मानचित्र, चार्ट तैयार करने और मुक्त हस्त से शब्द लिखने का काम करने तथा ग्राफिक्स, डिजाइनों, चित्रों आदि के लिए उच्च कोटि के साफ्टवेयरों का उपयोग करने का दस्तावेजी प्रमाण के साथ दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव । **टिप्पणी 1.** अभ्यर्थियों के अन्यथा बहुत योग्य होने के मामले में, कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी 2.** यदि चयन के किसी चरण पर कर्मचारी चयन आयोग का यह विचार हो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों के अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करके, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दी जा सकती है ।	लागू नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा विलयन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा/प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा भर्ती के मामले में किन ग्रेडों से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना चाहिए
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पणी :** पदधारक के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए उपलब्ध न होने कारण होने वाली रिक्तियों को मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारियों में से भरी जा सकती है जो कालम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं । (प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है ?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श किया जाना अपेक्षित है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) (i) संयुक्त सचिव (प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग —अध्यक्ष (ii) निदेशक/उप सचिव, (प्रशासन), उच्चतर शिक्षा विभाग —सदस्य (iii) निदेशक/उप सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग —सदस्य (iv) अवर सचिव (ई. II) उच्चतर शिक्षा विभाग —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से विचार विमर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-12018/2/2009-ई-II]

संजय गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 20th May, 2011

G.S.R. 155.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education and Higher Education (Artist) Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Artist in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely :—

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Artist) Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official, Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the post specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax all or any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Artist	1* (2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	PB-2: Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4200)	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note 2 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Bachelor's Degree in Commercial Arts or Fine Arts or Applied Arts from a recognized University/Institute. (ii) Two years of practical experience as an Artist in an Advertisement/Corporate Firm or with documented proof as a freelance in respect of preparation of design/layout of pamphlets, posters, maps, charts, free hand lettering work in English and Hindi, and use of quality softwares for graphics, designs, illustrations, etc. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years

(7)

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption is to be made
(11)	(11)
By Direct Recruitment Note : Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by deputation basis from officers of Central Government holding analogous post on regular basis in the parent cadre/Department and possessing the qualifications prescribed for Direct Recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering Confirmation) : (i) Joint Secretary (Administration), Department of Higher Education —Chairman (ii) Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Higher Education —Member (iii) Director/Deputy Secretary Department of Higher Education —Member (iv) Under Secretary (E.II), Department of Higher Education —Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/2/2009-E. II]

SANJAY GUPTA, Under Secy.

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 मई, 2011

सा.का.नि. 156.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (मुख्य प्रशासनिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1977 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन, क्षेत्र संक्रिया प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन में, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of:— 1. Director —Chairman 2. Deputy Director —Member 3. Assistant Director Grade I (In-charge Administration) —Member	Not applicable.

[F.No. A-12018/1/2009-A (NG)]
H. S. BISHT, Dy. Director (Admn.)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 251.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग लेखाकार समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में, लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखाकार समूह 'ख') भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और पे बैंड और ग्रेड पे अथवा वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम
(1)
1. लेखाकार
सीधी भर्ती किए ... और अन्य ...
लागू न
भर्ती की पद्धति
द्वारा या प्रतिनियुक्ति
पद्धतियों द्वारा भरी
(10)
प्रतिनियुक्ति

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. लेखाकार	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-2, (9300—34800 रु.) + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन के द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :**

क. (क) केन्द्रीय सचिवालय के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक जिनका वेतन बैंड-5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. पर श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है; और

(ख) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्था से रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं; जिसके न हो सकने पर

ख. केन्द्रीय सरकार के अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिनकी मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. के ग्रेड वेतन या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में छह वर्ष की सेवा है ।

(iii) जिनकी मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है ।

(ख) जो सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्था से रोकड़ और लेखा कार्य में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं;

या

(11)

केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है ।
(12)	(13)
लागू नहीं	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. ए-12018/3/2009-ई-II]
राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 4th October, 2012

G.S.R. 251.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Accountant Group 'C' posts Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Accountant in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, [Accountant, Group 'B'] Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

N umber of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of post, its classification and the 1 and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to les.

Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and atters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

Disqualifications.—No person,—

1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

e eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law able to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, ler, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax all or f the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to ovided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, the ex-servicemen and other Special gories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

..e of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/ Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
..countant	*1 (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-2, ₹ 9300—34800 + Grade Pay of ₹ 4200	Not applicable	Not applicable

..cational and other qualifications required for ..ct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

..hod of recruitment: whether by direct ..itment or by promotion or by deputation or ..ption and percentage of the vacancies to ..lled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Deputation	**Deputation:—** A. (a) Upper Division Clerks of Central Secretariat Clerical Service in Pay Band-1 of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 with ten years regular service in the grade; and

726 9/9/12-9

(11)

(b) have successfully undergone training in cash & accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management and possessing three years of experience of cash, accounts and Budget work; failing which by,

B. Officers of the Central Government:-

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts, in pay band-1 in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; or

(iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-1 in the scale of pay of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) have successfully undergone training in cash & accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management and possessing three years experience of cash, accounts and Budget work ;

or

a pass in the Subordinate Accounts Service or equivalent examination conducted by any of the organised Accounts Department of the Central Government.

Note 1: The Department officer in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration of appointment on deputation, Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion,

Note 2 : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years,

Note 3 : The Maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications,

Note 4 : For purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st day of January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Whether Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[F.No. A-12018/3/2009-E-II]

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2012

सा.का.नि. 252.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और